



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 आषाढ़ 1944 (श10)

(सं0 पटना 396) पटना, शुक्रवार, 24 जून 2022

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

24 जून 2022

सं० Exp-21/2020/(खंड-199) ब्रह्मपुर-71—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या— 76/बिहार/वि.स./199/सी.ई.एम.एस.-III/2020 दिनांक 20.05.2022 से एतद्वारा घोषित किया गया है कि बिहार राज्य के 199-ब्रह्मपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले राष्ट्रवादी जनसंघ पार्टी के श्री रंजन कुमार तिवारी, निवासी— ग्राम+पोस्ट—परसिया, थाना—चक्की ओ.पी.,(ब्रह्मपुर), जिला— बक्सर (बिहार), को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है (हिन्दी में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव—सह—
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001/दिनांक: 20 मई, 2022/29 वैशाख, 1944 (शक)

सं. 76/बिहार/वि०स०/199/सी.ई.एम.एस-III/2020—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 199-ब्रह्मपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बक्सर, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना द्वारा पत्र सं. 2537 दिनांक 23 दिसंबर, 2020 के पत्र सं. EXP-21/2020(खंड-199)ब्रह्मपुर/114 के जरिए अग्रेषित दिनांक 05 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री रंजन कुमार तिवारी, जो बिहार के 199-ब्रह्मपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले राष्ट्रवादी जनसंघ पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बक्सर, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री रंजन कुमार तिवारी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री रंजन कुमार तिवारी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री रंजन कुमार तिवारी द्वारा 14 अगस्त, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बक्सर द्वारा अपने दिनांक 24 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 70-0777 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बक्सर द्वारा अपने दिनांक 24 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 70-0777 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री रंजन कुमार तिवारी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री रंजन कुमार तिवारी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 199-ब्रह्मपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रंजन कुमार तिवारी, निवासी- ग्राम+पोस्ट-परसिया, थाना-चक्की ओ.पी. (ब्रह्मपुर), जिला- बक्सर (बिहार), इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
कुमार राजीव,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 396-571+50-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>